19

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

RU280-PBR-16

लक्ष्मीदेवी पति स्व. छगनलाल जाति अग्रवाल उम्र 89 वर्ष
धंधा व्यापार निवासी लाजपत राय मार्ग धार तह. व जिला धार

.....निगरानीकर्ता

श्री ... द्वारा आज दि. 21-12-16 को प्रस्तुत
21-12-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1– लक्ष्मण पिता सावज्या उम्र 50 वर्ष
2– छोगालाल उर्फ चौखेलाल पिता सावज्या उम्र 49 वर्ष
3– बुदेसिंह उर्फ बुदासिंह पिता सावज्या उम्र 45 वर्ष
4– दुलेसिंह पिता सावज्या उम्र 40 वर्ष
5– बहादुरसिंह पिता सावज्या उम्र 38 वर्ष
6– उदेसिंह उर्फ उदयसिंह पिता सावज्या उम्र 36 वर्ष
क्र. 1 से 6 जाति भील
निवासी ग्राम बिजलपुर तह. गंधवानी जिला धार

841 21/12/16

7– विष्णु कुमार पिता छगनलाल अग्रवाल उम्र 65 वर्ष
8– ब्रजमोहन पिता छगनलाल अग्रवाल उम्र 62 वर्ष
9– बंशीधर पिता छगनलाल अग्रवाल उम्र 59 वर्ष
10– परेश पिता छगनलाल अग्रवाल उम्र 43 वर्ष
क्र. 7 से 10 धंधा व्यापार
निवासी लाजपतराय मार्ग धार तह. व जिला धार

.....विपक्षीगण

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

6. 5.11.15

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता तर्फे अत्यन्त विनम्रता से निवेदन है कि ग्राम जेतपुरा तह. व जिला धार में स्थित व्यवसायिक प्रयोजन हेतु परिवर्तित भूमि जिसका सर्वे नंबर 106 रकबा 1.265 हैक्टर होकर उक्त भूमि सावज्या के नाम पर दर्ज रही होकर उक्त भूमि पर विधिक रूप से सावज्या द्वारा उक्त भूमि को माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय धार के समक्ष आवेदन देकर व्यपवर्तित कराया जिस पर कृष्णा टुस्टिंग इंडस्ट्रीज का निर्माण किया

गया। पतरे के शेड व आदि निर्माण उक्त भूमि पर रहा व उक्त भूमि व्यपवर्तित होने से ईट की दिवार टीनपोश स्थित होने से उक्त उद्योग मय भूमि व उस पर निर्मित भाग का विधिक रूप से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2002 को गवाह कमलेश डोडिया व अशोक पिता बाबूलाल के समक्ष दिनांक 02.03.2002 को सावज्या द्वारा विधिक रूप से गवाहो के समक्ष अपना फोटो विक्रेता के रूप में फोटो चस्पा कर गवाहो के समक्ष अपना अंगुष्ठ चिन्ह अंकित कर कु. ज्योति के पक्ष में उपपंजीयक महोदय धार के समक्ष पुंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया जिसकी तस्दीक उपपंजीयक धार द्वारा की गई। कु. ज्योति को विक्रय किया। कु. ज्योति पिता छगनलाल अग्रवाल को विक्रय किया जिस संबंध में विधि अनुसार विक्रय पत्र के निष्पादन के पश्चात कलेक्टर आफ स्टाम्प धार के समक्ष स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में मुकदमा चला जिसमें स्वयं कलेक्टर आफ स्टाम्प के निर्देश पर उपपंजीयक धार द्वारा विक्रित भूमि का इंडस्ट्री का निरीक्षण कर निर्माण होना सही पाया। दिनांक 02.03.2002 को निर्णय दिया व उपपंजीयक धार को उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत कराने हेतु आदेशित किया होकर उपपंजीयक द्वारा विधि अनुसार कु. ज्योति के पक्ष में याने निगरानीकर्ता के वडिल के पक्ष में उक्त इंडस्ट्री का विक्रय पत्र पंजीकृत किया। उक्त भूमि व इंडस्ट्री का सावज्या द्वारा विधिक रूप से विक्रय की है यह मानकर शेष मुद्रांक कु. ज्योति ने भरा उक्त भूमि की विधिक मालिक 02.03.2002 से कु. ज्योति होकर उसके द्वारा उक्त भूमि का व उस पर निर्मित इंडस्ट्री का विधिक रूप से उपयोग उपभोग किया। कु. ज्योति की मृत्यु हो जाने के पश्चात उक्त भूमि निगरानीकर्ता द्वारा विधिक रूप से उपयोग उपभोग किया गया। जिसके पालन में रजिस्टर्ड दस्तावेज है विधिक रूप से तत्समय कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा उक्त विक्रय पत्र का विधिक ठहराया ऐसी दशा में मात्र नाम न होने से कोई हक विपक्षी क्रमांक 1 लगायत 6 को होते नही है। न ही विपक्षी क्रमांक 1 लगायत 6 जो सावज्या के वारीस है उन्हे व्यर्थ नाम के आधार पर कोई कार्यवाही करते आती है। ऐसी दशा में उक्त भूमि के संबंध में हम हितधारी होते हुए हमारे वडिल ज्योति हितधारी होते हुए कोई कार्यवाही तत्संबंध में 12.10.2015 को व 05.11.2015 को नवीन यथाकथित प्रावधान गणना का लागु होता नही है ऐसी दशा में अभिमत व कलेक्टर महोदय का निर्देश व कार्यवाही का प्रारंभ विपक्षी द्वारा व तत्संबंधी आज्ञा विचाराधिकार रहित है क्योकि स्व. सावज्या को ही उक्त भूमि में मृत्यु दिनांक को कोई हक नही रहा व सावज्या द्वारा विपक्षी क्रमांक 1 लगायत 6 के पक्ष में मृत्यु दिनांक को कोई हक नही छोडा तो ऐसी दशा में विपक्षी को कोई कार्यवाही करने का हक नही है वे स्वामी नही है उनके वडिल सावज्या ही अपना स्वामित्व समाप्त कर हमारे वडिल में वेस्ट कर चुका है जो रजिस्टर्ड दस्तावेज में है आज भी कायम है नाम होने न होने से कोई अंतर होता नही

है। ऐसी दशा में कलेक्टर महोदय के यहां जो कार्यवाही सावज्या के वारीसो ने की है वह विचाराधिकार रहित है। याने राजस्व प्रकरण क्रमांक 10/2015–16/अ–21 में की गई कार्यवाही विचाराधिकार रहित है जिसे अपास्ति बाबद व हमारा नाम दर्ज बाबद व हमारे पूर्वज का नाम दर्ज बाबद उसके संबंध में रजिस्टर्ड दस्तावेज के पालन बाबद व अंतिम आज्ञा दिनांक 05.11.2015 विचाराधिकार रहित होने से व जिस बाबद हमे पटवारी हाजा से व तहसील से चालचोल करने से पता लगा वैसे ही हमने नकल की अर्जी दिनांक 01.11.2016 को दी व नकल दिनांक 03.11.2016 को मिली वैसे ही जानकारी व दर्ज आज्ञा व अंतिम आज्ञा दिनांक 05.11.2015 के बीच की अवधि मुजरा बाबद अलग से अर्जी दी है। क्षमा बाबद अलग से अर्जी दी है जो स्वीकार होना अर्ज है निगरानी प्रस्तुतीकरण की अलग से अर्जी दी है स्वीकार होना अर्ज है निगरानी विचार में ली जाना अर्ज है अगर निगरानी सुनने में कोई विधिक बाधा हो तो स्वयमेंव अधिकारो का उपयोग कर जो दस्तावेजी प्रमाण पेश किये है जो जाप्ते के है उस पर विचार होकर मेरी याचना अभ्यावेदन स्वीकार होकर कलेक्टर महोदय व उनके अधिनस्थ की आज्ञा विधिक न होने से जेर निगरानी अपास्त होना अर्ज है जिस बाबद यह अभ्यावेदन बाबद व हमने सभी को पक्ष बनाया है लेकिन जो अहितधारी है उन्हे छोडा है कलेक्टर महोदय के प्रकरण में जो पक्ष है अहितधारी होने से उन्हे छोडा है अगर कोई कानूनी त्रुटि हो तो हम उन्हे पक्ष बनाने को तत्पर है। यह निगरानी अर्ज निम्न आधारों पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत प्रस्तुत हैं:–

:: आधार निगरानी ::

1– यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यथाकथित विपक्षी क्रमांक 1

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4286-पीबीआर/16 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-2019	पकरण का अवलोकन किया गया । आवेदिका द्वारा यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु आयुक्त के समक्ष उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	